न्यायालय-ए०के०गप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 321/2015

<u>संस्थित दिनाँक-01.06.2015</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

फौत–

1. चरन सिंह पुत्र रसाल सिंह बंजारा उम्र—40 साल 2. फूला बाई पत्नी चरनसिंह बंजारा उम्र—37 निवासीगण— ग्राम बंजारा का पुरा, गोहद जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियुक्तगण

<u>-:: निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 10.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323 तीन काउण्ट सहपिटत धारा 34, 324 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दि0 15.05.15 को 12:00 बजे ग्राम विरखड़ी मौजा का हार में सार्वजिनक स्थान पर फिरयादी कमला को मां—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फिरयादी व उपस्थित जन समूह को क्षोभ कारित किया एवं अपने सह अभियुक्त के साथ फिरयादी कमला की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मितकर उसके अग्रशरण में फिरयादी कमला एवं बचाव करने आई आहत पूजा एवं पिस्ता की डण्डे से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छा उपहित कारित की तथा आहत पूजा को उपहित कारित करने के आशय से उसे अपने मानव दांतों को धारदार हथियार के रूप में प्रयोग कर स्वेच्छ्या काटकर उपहित कारित की।

- 2. यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त चरनसिंह की मृत्यु विचारण के दौरान हो जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण का उपशमन किया गया है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त फूलाबाई के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 15.05.2015 को करीब 12 बजे फरियादी श्रीमती कमलादेवी व उसकी लड़की पूजा व पिस्ता खेतों में विरखड़ी मौजा हार में सरसों के ढूढ़ (सरकंटा) इकट्ठा कर गट्ठा बनाकर चरन सिंह बंजारे के खेत में रख दिए तो अभियुक्तगण ने कहा कि उनके खेत में गट्ठे क्यों रखे, गाली—गलौंचे करने लगा, मना करने पर चरनसिंह ने डंडा कमला को मारा, जब पूजा व पिस्ता बचाने आईं तो उन्हें अभियुक्त द्वारा डंडा मारकर चोटें पहुंचाई गईं तथा दायने पैर के घुटने के पास काट लिया था। उक्त आशय की रिपोर्ट से पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना(अदम चैक) क्रमांक 39 / 15 लेख की गई। आहत्गण का चिकित्सीय

परीक्षण कराया गया। चोटों के आधार पर अपराध कमांक 97/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने उसके निर्दोष होने तथा रंजिशन झूंटा फंसाए जाने का कथन किया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या दिनांक 15.05.2015 को करीब 12:00 बजे ग्राम विरखड़ी मौजा हार में फरियादी को अभियुक्त ने सार्वजनिक स्थान पर उसे मां—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वाले जन समूह को क्षोभ कारित किया?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी कमलावाई, पूजा व पिस्ता को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 - 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी कमला, पिस्ता व पूजा को उपहति एवं आहत पूजा को दांत से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

<u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

5. अभियोजन की ओर से फरियादी कमलाबाई अ०सा० 1, कु० पूजा अ०सा० 2, बंटी अ०सा० 3, कु० पिस्ता अ०सा० 4, डॉ० जी०आर० शाक्य अ०सा० 5 एवं नायब सिंह अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं ली गई।

<u>—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष ::—</u>

6. फरियादी कमला अ0सा0 1 यह कथन करती है कि पिछले साल हिन्दी माह जेठ के महीने की बात है, उसने फूलाबाई के खेत में सरसों के ढूढ़ रखे थे, जब व उन्हें उठाने गई तो अभियुक्त फूलाबाई जो उसकी सांस लगती है, उसे गाली देने लगती है। गाली देने से मना किया तो अभियुक्त फूलाबाई का पित चरनिसंह डंडा लेकर आया और मारपीट करने लगा। इस प्रकार से साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में उसको अभियुक्त द्वारा गाली देने के संबंध में तथ्य लेख किया गया है, किन्तु कौन सी गाली दी गई थी, इस संबंध में कथन नहीं करती है और न ही अभिकथित गाली से उसे कोई क्षोभ कारित हुआ हो, इस संबंध में भी कोई कथन नहीं करती है। घटना की रिपोर्ट थाने में किए जाने और उस पर अंगूठा लगाना बताती है। साक्षी कु0 पूजा अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में फूलादेवी द्वारा

उसे गाली-गलौंच करने और मना करने पर मारपीट करने का कथन करती है। यह साक्षी भी अभिकथित अश्लील शब्द या गाली कौन-सी दी गई, इसका स्पष्ट कथन नहीं करती है।

7. साक्षी बंटी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना के समय दोनों स्त्रियां अर्थात् फरियादी व आरोपी में लकड़ी बीनने (इकत्रित करने) से झगड़ा हो गया था। अपने अभिसाक्ष्य में यह साक्षी अभियुक्त द्वारा फरियादी को गाली—गलौंच किए जाने के संबंध में तथ्य का कोई कथन नहीं करता और सूचक प्रश्नों में भी गाली दिए जाने के तथ्य का समर्थन नहीं करता है। कुमारी पिस्ता अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त फूला द्वारा गाली—गलौंच किए जाने का कथन अवश्य करती है, किन्तु यह साक्षी भी अभिकथित कौन सी गाली दी गई व गाली सुनकर उसे कोई क्षोभ कारित हुआ हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं करती है। सभी साक्षीगणों के अभिसाक्ष्य में संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु इस संबंध में तथ्य नहीं हैं कि अभियुक्त द्वारा दी गई कथित गालियां अश्लील थीं अथवा नहीं और अभिकथित गालियां सुनकर फरियादी व सुनने वाले को कोई क्षोभ कारित हुआ हो, इस संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य नहीं हैं। ऐसे में दांडिक दायित्व से अधिरोपित किए जाने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 294 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

-:: विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष ::-

8 प्रकरण में फरियादी कमला अ०सा० 1 यह कथन करती है कि जब उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त फूलाबाई का पित चरनिसंह इंडा लेकर आया और उसने तीनों मां—बेटियों की मारपीट की। फूलाबाई ने दांत से उसकी लड़की पूजा को काट लिया तथा पिस्ता को अभियुक्त चरनिसंह ने इंडा मारा, दो इंडे लगे। इस प्रकार से साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में उसे एवं उसकी दोनों पुत्रियों पूजा व पिस्ता को चोटें कारित होने के संबंध में कथन करती हैं। पूजा अ०सा० 2 यह कथन करती है कि जब उसने एवं उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त फूला बाई नहीं मानी और पीटने लगी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में इंडे व लाठी उसकी मां तथा बहन पिस्ता की मानपीट किए जाने के संबंध में कथन करती है। अभियुक्त फूला द्वारा इंडा व लातों से तथा चरनिसंह द्वारा लाठी से चोटें कारित किए जाने के संबंध में कथन करती है। आहत् पिस्ता अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती है कि जब उसकी बहन सरसों के ढूढ़ लेकर जा रही थी तो अभियुक्त चरनिसंह की लड़की अन्तो आ गई और उसकी मां फूला भी आ गई, जो उन दोनों को मारपीट करने लगीं। इसके बाद अभियुक्त चरनिसंह भी आ गया और उसकी लाठियों से मारपीट की। साक्षी उसे बाये हाथ की हथेली और दाये पखौरा में मां को सिर व पीठ में चोट आने तथा फूला द्वारा काट लिए जाने के संबंध में कथन करती है। साक्षीगण द्वारा उनकी चोटों का इलाज कराए जाने एवं रिपोर्ट प्रजपि० 1 लिखाए जाने का कथन किया गया है।

- 9. रिपोर्ट प्र0पी० 1 में अभियुक्त चरनिसंह द्वारा फिरयादी कमला को डंडे से मारपीट करने, जिससे उसके सिर में बायीं तरफ, कूल्हे में बायीं तरफ चोट आने का कथन लेख है तथा पूजा व पिस्ता के बचाने आने पर फूलादेवी द्वारा डंडे से पूजा की पीट में बायीं तरफ, दायने हाथ की बाजू में, सिर में चोट पहुंचाने व दायने पैर के घुटने के पास काट लिए जाने के संबंध में तथ्य लेख है। पिस्ता को हाथ की हथेली में चोट आना लेख है। प्रकरण में चिकित्सक डॉ. जी0आर0 शाक्य अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने घटना दिनांक 15.05.2015 को आहत् कमला, पूजा व पिस्ता के चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसमें आहत् कमला को बायीं अग्र भुजा में नील की चोट आकार 06 गुणा 02 सेमी. तथा छाती पर बहुत सारे छोटे—छोटे छिलन के निशान मौजूद थे। दायनी छाती के लेटरल साईट दांत के दबाव के निशान पाए गए थे। इसके अतिरिक्त आहत् पिस्ता को कलाई में दर्द तथा पेट में दर्द की शिकायत किए जाने का तथ्य बताती है। आहत्गण की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट कमशः प्र0पी० 3 लगायत 5 बताकर उसपर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
- 10. प्रकरण में आहत्गण के द्वारा उनके शरीर पर चोटें कारित होने का कथन किया गया है, जिसकी अभिपुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 3 लगायत 5 के माध्यम से चिकित्सक जी0आर0 शाक्य अ0सा0 5 द्वारा की गई है। आहत्गण को कारित चोटें ताजी चोटें होने के संबंध में प्र0पी0 3 व 4 में चिकित्सक द्वारा लेख किया गया है और उक्त चोटें प्राथमिकी प्र0पी0 1 में घटना के समय से करीब एक घंटे के भीतर परीक्षित की गई हैं। ऐसी दशा में चिकित्सीय रिपोर्ट से आहत् की चोटें समर्थित हैं।
- 11. प्रकरण में कमला अ०सा० 1 उसकी लड़की पूजा को अभियुक्त फूलाबाई द्वारा दांत से काट लेने के संबंध में कथन करती है। अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण की कंडिका में पूजा को 3—4 डंडे की चोट के अलावा दांत से काट लिए जाने का कथन भी करती है। पूजा अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसके दायने हाथ में अभियुक्त फूला ने काट लिया था। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में उसके दायने हाथ में काटने की चोट से खून न निकलने और गांठ पड़ जाने का कथन किया गया है, जबिक पिस्ता अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरिक्षण की कंडिका 2 में उसकी बहन पूजा को अभियुक्त फूला द्वारा दायने पैर में काटने का कथन करती है। चिकित्सक डॉ. जी०आर० शाक्य अपने अभिसाक्ष्य में आहत् पूजा को दायने हाथ में, दायने पैर में काटने की चोट न होने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि आहत् पूजा को दायने हाथ में व दायने पैर में काटने की कोई चोट नहीं थी। ऐसी दशा में आहत्गण को घटना दिनांक 15.05.2015 को शरीर पर चोटें होना तो प्रमाणित है, किन्तु दांत से काटने की चोट

के संबंध में विरोधाभाषी कथन अभिलेख पर हैं। ऐसी दशा में दांत से काटने की चोट प्रमाणित नहीं है। शेष चोटें आहत्गण को कारित होना प्रमाणित पाया जाता है।

<u>—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष ::—</u>

- 12. प्रकरण में फरियादी कमला अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में चरनसिंह द्वारा उसके सिर व पूरे शरीर में डंडे मारने तथा पूजा व पिस्ता को डंडा मारने का कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में साक्षी उसे झगड़े में 10–20 डंडे चरनसिंह द्वारा मारे जाने का कथन करती है। साक्षी उसके अतिरिक्त आहत् पूजा व पिस्ता को चरनसिंह द्वारा मारपीट करने के संबंध में कथन करती है। पूजा अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में यह कथन करती है कि उसकी मां को अभियुक्त फूला ने मारा पिस्ता अ०सा० 4 अभिसाक्ष्य में अभियुक्त फूला द्वारा डंडा नहीं मारने का तथ्य प्रकट करती है। इस प्रकार से साक्षीगण द्वारा उन्हें आई चोटें अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित किए जाने के संबंध में कथन करता है। बंटी अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में भी अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रशरण में उपहित कारित किए जाने के संबंध में कथन करता है।
- 13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में अभिकथित रंजिश किस बात की थी, इस संबंध में साक्षी/आहतगण से कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं कराया गया है और न हीं कोई साक्ष्य बचाव में इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि फरियादी व अभियुक्त की किस बात की रंजिश मौजूद थी। ऐसे में अभिकथित रंजिश का तथ्य किसी सारवान साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं। प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आहत पूजा द्वारा उसे अपने दाए हाथ में दांत से काटने की चोट बताई है। कु0 पिस्ता अ0सा0 4 उसकी बहन को दाए पैर में काटने की चोट बताती है जबिक कमला यह स्पष्ट नहीं करती कि पूजा को कहां पर दांत से काटने की चोट उसकी दाहिने तरफ छाती में मौजूद होने का तथ्य प्रकट किया गया है। ऐसे में प्रकरण में अभियुक्त फूलाबाई को असत्य रूप से लिप्त किया गया है।
- 14. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क कि आहत पूजा को आई चोट के संबंध में साक्षियों एवं चिकित्सीय साक्षी के अभिसाक्ष्य में सारवान भिन्नता है, अभिलेख पर स्पष्ट है। दाण्डिक विधि के अधीन युक्ति ''एक तथ्य मिथ्या तो सब तथ्य मिथ्या'' लागू नहीं होती है बल्कि दाण्डिक न्यायालय को ''भूसे में से सुई को खोजना होता है''। प्रकरण में आहतगण को आई चोटें अभिलेख पर न केवल मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित बल्कि रिपोर्ट प्र०पी० 1, चिकित्सीय दस्तावेज प्र०पी० 3 लगायत 5 से भी उनका समर्थन होता है। अभियुक्त की ओर से साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्त फूलाबाई की पुत्री अन्नो व आहत पिस्ता व पूजा के मध्य पूर्व से विवाद हो रहा था पूजा

अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करती है कि अन्नो से उसका एवं पिस्ता का गुत्थम गुत्था हो रहा था तथा उन लोगों ने एक दूसरे के बाल पकड लिए थे। कमला अ0सा0 1 ने भी प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। किन्तु साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त फूलाबाई ने विवाद को रोकने की कोशिश की, बल्कि साक्षियों ने अभियुक्त के द्वारा गाली गलौंच करने व मारपीट करने का कथन किया है। आहतगण को आई चोटें चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परीक्षण प्र0पी0 3 लगायत 5 में तात्कालिक पाई गयी हैं। ऐसी दशा में आहतगण को आई चोटें किसी अन्य रीति से कारित हुई हो और आहतगण द्वारा अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त किए जाने का कोई आधार हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं हैं।

- 15. प्रकरण में साक्ष्य के दौरान कमला अ०सा० 1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उन्हें आई चोटों के संबंध में बढ चढकर कथन किया जाना दर्शित है, किन्तु ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला को देखते हुए उसके द्वारा साक्ष्य में की गयी अभिवृद्धि अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं करती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में यह तथ्य अवश्य स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आहतगण को कारित संपूर्ण उपहित अभियुक्त फूला द्वारा कारित की गयी अथवा कुछ उपहित उसके द्वारा कारित की गयी, शेष उसके पित मृत चरनिसंह द्वारा कारित की गयी। ऐसी दशा में अभियुक्त के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी व आहतगण को उपहित कारित किया जाना प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 तीन काउण्ट सहपित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध तथा धारा 294, 324 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।
- 17. अभियुक्त के स्वेच्छिक व संगठित अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्चः

18. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित बिधवा महिला होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

- अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्त् साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में आहतगण को स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आहतगण को आई चोटों में आहत कमला एवं पूजा को प्रत्यक्ष चोटें प्रमाणित हैं जबकि आहत पिस्ता के द्वारा केवल दर्द की शिकायत बताई गयी है। ऐसे में को प्रमाणित चोटें सतही एवं साधारण प्रकृति की आना प्रमाणित हुई हैं। फरियादी कमला एवं अभियुक्त परस्पर संबंधित हैं ऐसे में कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने पर उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मध्रता होने की संभावना समाप्त हो जावेगी। अभियुक्त विधवा, अशिक्षित महिला होने का तथ्य अभिलेख पर है और अभियुक्त विचारण के दौरान उपस्थित होती रही है। ऐसे में अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित न करते हुए शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना उचित पाया जाता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 तीन काउण्ट सहपठित धारा 34 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं पांच-पांच सौ रूपये अर्थदण्ड प्रत्येक काउण्ट के लिए, कुल 1500 / -रूपये (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15–15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास प्रत्येक काउण्ट के लिए भुगताया जावे।
- प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। 20.
- निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे। 21.
- अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं। 22.

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

WILMS AND STATES OF THE STATES

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गय

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश